उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या – 188 / उनिलि / रिफॉर्म / विनियम:172.2.7 / सेवानिवृत्ति / 2017 दिनांक : 27 / 09 / 2017

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (कार्मिकों की सेवानिवृत्ति) विनियमावली–2017

अधिसूचना

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिएशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.08.2017 को सम्पन्न 172वीं बैठक में एजेण्डा संख्या– 172.2.7 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित विनियमावली, एतद्द्वारा, निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है:–

भाग–एक –सामान्य

1. यह विनियमावली **"उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (कार्मिकों की सेवानिवृत्ति) विनियमावली–2017"** कही जायेगी।
2. यह विनियमावली इस सम्बन्ध में निर्गत कार्यकारी आदेश की तिथि दिनांक: 21.12.2006 से प्रवृत्त मानी जायेगी।
3. उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त कार्मिक इस विनियमावली से आवरित होंगे।
4. "निदेशक मण्डल" का तात्पर्य उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल से है।
5. "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य निगम के ऐसे अधिकारी से है जिसे निगम के विभिन्न संवर्गों के ऐसे मौलिक अथवा निःसम्वर्गीय / एकल पदों पर नियुक्ति का अधिकार है जिन पदों से कार्मिक सेवानिवृत्ति चाहता है अथवा उससे सेवानिवृत्ति की अपेक्षा की गयी है।
6. "अर्ह सेवा" का तात्पर्य वही होगा जो यथा अनुमन्य सेवान्त लाभ से सम्बन्धित सुसंगत नियमों में दिया हो।

भाग–दो–सेवानिवृत्ति / सेवानिवृत्ति की तिथि

7. इस विनियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 का प्रत्येक कार्मिक, उस माह के, जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करे, अन्तिम दिन अपरान्ह में सेवानिवृत्त होगा:

   परन्तु, निगम का कोई कार्मिक जिसकी जन्म तिथि किसी माह के प्रथम दिवस को हो तो वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती माह की अन्तिम तिथि के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जायेगा।

भाग–तीन–सेवाविस्तार

8. उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के किसी कार्मिक को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के आगे सेवा में विस्तार नहीं दिया जायेगा।

   परन्तु यह कि निगम के किसी ऐसे कार्मिक, जिसको सेवावधि में आवंटित किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करना हो अथवा किसी समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, जिसका कि अल्प समय में परिसमापन किया जाना हो, की सेवा को निगम हित में अधिकतम 03 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है:

परन्तु यह भी कि निगम के किसी ऐसे कार्मिक, जिसे उच्चतर विशिष्ट तकनीकी कार्य आवंटित हो तथा जिसका प्रतिस्थापन इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों के बावजूद उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व किया जाना सम्भव न हो, को 62 वर्ष की आयु तक सेवा का विस्तार दिया जा सकता है, यदि ऐसा विस्तार निगम हित में दिया जाना अपरिहार्य हो और ऐसे विस्तार के लिये आधारों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया हो:

परन्तु यह और भी कि निगम को, सेवा विस्तार दिये गये किसी भी स्थायी कार्मिक को न्यूनतम 03 माह एवं अस्थायी कार्मिक को 01 माह की लिखित सूचना देकर अथवा ऐसी सूचना के बदले में वेतन एवं भत्ते देकर सेवा विस्तार की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त करने का अधिकार होगा।

टिप्पणी:– सेवा विस्तार का प्रत्येक प्रकरण निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

भाग–चार–समय पूर्व सेवानिवृत्ति

9. इस विनियमावली के किसी प्रस्तर में किसी उपबन्ध के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, किसी भी समय, निगम के किसी भी कार्मिक से (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी), नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताये, उसके 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के उपरान्त, सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या:13/48/85–कार्मिक–। दिनांक 26.10.1985 एवं समय–समय पर तत्सम्बन्धी जारी शासनादेशों में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त निगम का कोई कार्मिक नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के उपरान्त अथवा 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने पर स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो सकता है:

परन्तु यह कि सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्मिक को दी जाने वाली नोटिस सेवानिवृत्ति के लिये अपेक्षित तिथि से 03 माह पूर्व दी जायेगी। इसी प्रकार कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को दी जाने वाली नोटिस वॉछित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से 03 माह पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

परन्तु यह भी कि नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, के आदेश से, निगम के किसी भी कार्मिक को उसकी 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त किसी भी समय, बिना किसी नोटिस के अथवा 03 माह से कम की अल्पावधि की नोटिस पर तत्काल सेवानिवृत्त किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी सेवानिवृत्ति पर कार्मिक, नोटिस दिये जाने की 03 माह की निर्धारित अवधि अथवा यथास्थिति, ऐसी नोटिस 03 माह से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये उसी दर पर वेतन एवं भत्तों, यदि कोई हों, के समतुल्य धनराशि का हकदार होगा जिस दर पर वह सेवानिवृत्त किए जाने की तिथि के ठीक पहले पा रहा था।

परन्तु यह और कि यदि कार्मिक द्वारा दी जाने वाली नोटिस वॉछित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से 03 माह पूर्व प्रस्तुत नहीं की जायेगी तो कार्मिक को 03 माह अथवा अल्पावधि की नोटिस की स्थिति में, उतनी अवधि के लिये जितनी कि 03 माह की अवधि में से कम रह गई हो, वेतन एवं भत्तों के समतुल्य धनराशि अर्थदण्ड के रूप में निगम के कोष में जमा करना होगा,

किंतु, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, निगम के कार्मिक को, 03 माह की निर्धारित अवधि की नोटिस के बिना अथवा अल्पावधिक नोटिस की स्थिति में, उससे नोटिस के बदले में अर्थदण्ड का भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान कर सकता है।

10. निगम का ऐसा कार्मिक, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात (कन्टेम्प्लेटेड) हो या लम्बित हो, द्वारा प्रस्तुत की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस, तभी प्रभावी होगी जब नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, उसे स्वीकार कर ले, किन्तु किसी अनुध्यात (कन्टेम्प्लेटेड) अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में, नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व, निगम सेवक को यह सूचित किया जाना अनिवार्य है कि उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस स्वीकार नहीं की गई है।

टिप्पणी:– कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दी गई नोटिस को, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकेगा।

भाग–5–सेवानैवृत्तिक लाभ

11. निगम के प्रत्येक कार्मिक को, जो इस विनियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होता है अथवा जिसे सेवानिवृत्त कर दिया गया हो या जिसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान की गई हो, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा निर्गत संगत नियमों/आदेशों में निहित प्रतिबंधों के अन्तर्गत यथा अनुमन्य, सेवान्त लाभ अनुमन्य होगें।

परन्तु यह भी निगम के किसी कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिये जाने की स्थिति में सेवान्त लाभ के प्रयोजनों हेतु, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, कार्मिक को 05 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ अथवा उसकी अवशेष सेवा अवधि का लाभ, जो भी कम हो, प्रदान कर सकता है।

स्पष्टीकरण :–

1) इस विनियमावली के विनियम–9 में यथाविनिर्दिष्ट, निगम के कार्मिक से सेवानिवृत्ति के लिये अपेक्षा करने का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, द्वारा निगम हित को दृष्टिगत रखते हुए लिया जायेगा, किन्तु यहॉ पर उल्लिखित किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि आदेश में इसका उल्लेख करने की अपेक्षा की गई है कि ऐसा निर्णय निगम हित में लिया गया है।

2) ऐसा प्रत्येक निर्णय, निगम हित में लिया गया निर्णय समझा जायेगा।

3) नियुक्ति प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश, जिसमें निगम के कार्मिक से विनियम –9 के "द्वितीय परन्तुक खण्ड" के अधीन तत्काल सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की गई हो, जारी किये जाने की तिथि के अपरान्ह से प्रभावी होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसके जारी किये जाने के पश्चात् निगम का सम्बन्धित कार्मिक सद्भावना से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके कार्यो को, इस तथ्य के होते हुए भी कि वह पहले सेवानिवृत्त हो चुका है, विधि मान्य समझा जायेगा।

12. इस विनियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से **"उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (कार्मिकों की सेवानिवृत्ति) विनियमावली–1975"** (अद्यतन संशोधित) निरसित हो जायेगी, तथापि उपरोक्त निरसन के होते हुए भी "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (कार्मिकों की सेवानिवृत्ति) विनियमावली–1975" के अन्तर्गत लिये जा चुके निर्णय/कृत कार्यवाहियाँ वैध एवं मान्य होगीं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या –188/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:172.2.7/सेवानिवृत्ति/2017 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य/वित्त), के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II), पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्ड0एम0/जानपद/जानपद नव–परियोजना/न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. कंपनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियंता (मा0सं0 1/2/3/4/5), रिफॉर्म, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0–46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाइल।

27/9/17

(मोहम्मद तसनीम)
मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)